पत्रांक–01/लोक लेखा–01–03/2013 356

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

सुनील कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कुल सचिव,
पटना विश्वविद्यालय, पटना।
बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।
मगध विश्वविद्यालय, बोध गया (गया)।
कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
जय प्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, छपरा।
भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा।
वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।

पटना, दिनांक 11/7/2014

विषय– सी.ए.जी. के प्रतिवेदन (सिविल/सामान्य) वर्ष 1989–90 से 2011–12 तक के लम्बित सभी कंडिकाओं के पुनरीक्षित प्रतिवेदन साक्ष्यों के साथ समर्पित करने हेतु।

महाशय,

उपरोक्त विषयक विभागीय पत्रांक 01/लो.ले.–01–03/2013–199 दिनांक 26.03.14 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि पिछले लोक लेखा समिति की बैठक में दिये गये निर्देश के अुनसार सी.ए.जी. के प्रतिवेदन (सिविल/सामान्य) वर्ष 1989–90 से वर्ष 2011–12 तक के लम्बित सभी कंडिकाओं के अद्यतन एवं पुनरीक्षित उत्तर अद्यतन कटौती/वसूली का ब्यौरा/साक्ष्य के साथ विभाग को अग्रता के आधार पर प्रस्तुत करना है ताकि विभागीय मंतव्य के साथ अनुपालन प्रतिवेदन लोक लेखा समिति को भेजा जा सके। विश्वविद्यालयवार लम्बित कंडिकाओं के अद्यतन सूची संलग्न करते हुए अनुरोध करना है कि कृपया उक्त लम्बित कंड़िकाओं के अद्यतन वसूली/कटौती का ब्यौरा संलग्न करते हुए साक्ष्य के साथ उत्तर विभाग को प्रस्तुत किया जाय। यदि पूर्व में प्रेषित उत्तर की स्थिति में कोई परिवर्तन नही हुआं हो तो भी इस संबंध में स्पष्ट उल्लेख करते हुए स्पष्ट उत्तर दिया जाय।

कृपया इसे सर्वोच्य प्राथमिकता दी जाय।

अनु0–सूची यथा उपरोक्त।
(02– पृष्ट)

विश्वासभाजन
(सुनील कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 356/ पटना, दिनांक 11/7/2014

प्रतिलिपि– अनुलग्नकों के साथ 1. महामहिम के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, पटना। उनसे भी अनुरोध है कि वे अपने स्तर से सभी संबंधित कुल सचिवों/कुलपतियों को निर्देश दिया जाय कि वे पुनरीक्षत अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य के साथ विभाग में तत्काल प्रस्तुत करें।

2. विशेष कार्य पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना।
3. निदेशक (उच्च शिक्षा) शिक्षा विभाग, पटना।

(सुनील कुमार सिंह)

विश्वविद्यालयवार सी.ए.जी. के प्रतिवेदन (सिविल/सामान्य) वर्ष 2001–02 से वर्ष 2011–12 तक लम्बित कंडिकाओं का ब्योरा (भागलपुर विश्वविद्यालय को छोड़कर)

विश्वविद्यालय का नाम	सी.ए.जी. के प्रतिवेदन संख्या/वर्ष	क्रमांक एवं कंडिका/उप कंडिका संख्या	आपत्ति का ब्योरा	उत्तर प्राप्ति की स्थिति	वांच्छनीय सूचना/अभिलेख
1.	2.	3.	4.	5.	6.
पटना विश्वविद्यालय, पटना	2001–02(सिविल)	(1) 6.1.7 (v)	1. बोनस का अनियमित भुगतानः 14.58 लाख रू0	आंशिक उत्तर प्राप्त	वसूली की स्थिति साक्ष्य के साथ बताई जाय।
	2001–02(सिविल)	(2) 6.1.8	2. इनफिल्बनेट कार्यक्रम पर निष्फल व्ययः 50 लाख रूपये	तदैव	पुस्तकों जर्नल एवं शोध प्रबंधों की कम्प्यूटर प्रविष्टी की अद्यतन स्थिति साक्ष्य के साथ बताई जाय।
	2001–02(सिविल)	(3) 6.1.12	अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण : 30.42 लाख रूपये	तदैव	अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण का कारण स्पष्ट किया जाय। पुर्न प्रस्तुतीकरण का साक्ष्य दें।
	2007–08(सिविल)	(4) 4.2.4	शिक्षेत्तर कर्मियों को अस्वकार्य वेतन का भुगतान : 1.46 करोड रूपये।	असतोषप्रद उत्तर प्राप्त।	राशि वसूली की स्थिति स्पष्ट करते हुए उत्तर साक्ष्य के साथ दिया जाय।
	2010–11(सिविल)	(5) 3.3.7.3	अंतरिम राहत का अनियमित भुगतान : 26.67 लाख रूपये	तदैव	अवशेष राशि के समायोजन/वसूली की अद्यतन स्थिति साक्ष्य के साथ बताई जाय।
	2011–12(सामान्य)	(6) 3.1.1 से 3.1.7 तक	पटना विश्वविद्यालय की समीक्षा	उत्तर अप्राप्त	कृपया कंडिकावार स्पष्ट उत्तर साक्ष्य के साथ दिया जाय।
बी.आर.ए.बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	2010–11(सिविल)	(7) 3.3.6	शिक्षण शुल्क का कर्मचारियों के वेतनादि पर अनियमित व्ययः 7.09 करोड रूपये	आंशिक उत्तर प्राप्त	अवशेष विचलित राशि 4.98 करोड रूपये के सामजन/वापसी का ब्योरा साक्ष्य के साथ दिया जाय।
वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	2008–09(सिविल)	(8) 2.2.3	न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध सेवा की अनियमित गणन के कारण वेतनादि का अधिक भुगतानः 44.65 लाख रूपये	उत्तर प्राप्त	न्यायिक निर्णय की अद्यतन स्थिति बताते हुए वसूली की स्थिति साक्ष्य के साथ बताई जाय।
	2010–11(सिविल)	(9) 3.3.6	शिक्षण शुल्क का कर्मचारियों के वेतनादि पर अनियमित व्ययः 71.40 लाख रूपये।	तदैव	अद्यतन स्थिति स्पष्ट किया जाय। साक्ष्य भी संलग्न करे।
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा	2008–09(सिविल)	(10) 2.4.3	वास्तविक आवश्यकता एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव में एम्बुलेन्स एवं अन्य उपकरण क्रय पर निष्क्रीय व्ययः 34.59 लाख रूपये	उत्तर प्राप्त	एम्बुलेन्स एवं मशीन उपकरणों की अद्यतन उपयोग की स्थिति साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया जाय। Outsoreing की स्थिति बताएँ।
	2010–11(सिविल)	(11) 3.3.7.1	अग्रिम वेतनवृद्धि का अनियमित भुगतानः 87.49 लाख रूपये	उत्तर अप्राप्त	45 शिक्षकों से वसूली गई राशि का ब्योरा साक्ष्य के साथ किया जायं।
भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	2009–10(सिविल)	(12) 2.2.6	विश्वविद्यालय के अयोग्य कर्मचारियों की सेवा बरकारार रखने से वेतनादि पर अनियमित भुगतान : 6.75 करोड़ रूपये	आंशिक उत्तर प्राप्त	संबंधित कुलपति एवं कुल सचिव के विरूद्ध राशि वसूली की कार्रवाई का ब्योरा साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया जाय।
	2010–11(सिविल)	(13) 3.3.6	शिक्षण शुल्क का कर्मचारियों के वेतनादि पर अनियमित व्यय :	आंशिक उत्तर प्राप्त	मदवार विचलन का ब्योरा कारणों के साथ बताया

			1.17 करोड़ रूपये		जाय तथा प्रतिपूर्ति की स्थिति साक्ष्य के साथ बताया जाय।
भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	2010–11(सिविल)	(14) 3.3.7.1	अग्रिम वेतन वृद्धि का अनियमित भुगतान : 9.02 लाख रूपये	उत्तर अप्राप्त	18 शिक्षकों से राशि वसूली का ब्योरा साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया जाय।
	2010–11(सिविल)	(15) 3.3.7.3	अंतरिम राहत का अनियमित भुगतान :5.00 लाख रूपये	आंशिक उत्तर प्राप्त	राशि वसूली का पूर्ण ब्योरा साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया जाय।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	2010–11(सिविल)	(16) 3.3.6	शिक्षण शुल्क का कर्मचारियों के वेतनादि पर अनियमित व्यय : 95.00 लाख रूपये	आंशिक उत्तर प्राप्त	शेष 58.00 लाख रूपये का मदवार ब्योरा साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करें तथा समायोजन/प्रतिपूर्ति की स्थिति से अवगत कराया जाय।
जय प्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, छपरा	2010–11(सिविल)	(17) 3.3.6	शिक्षण शुल्क का कर्मचारियों के वेतनादि पर अनियमित व्यय : 4.02 लाख रूपये	असंतोषप्रद उत्तर प्राप्त	संविदा पर नियुक्त कर्मियों के वेतनादि पर राशि विचलित करने के जिम्मेदार पदाधिकारियों को चिन्हित कर राशि की वसूली की कार्रवाई साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया जाय।
	2010–11(सिविल)	(18) 3.3.7.1	अग्रिम वेतन वृद्धि का अनियमित भुगतान : 94.04 लाख रूपये	उत्तर प्राप्त	184 शिक्षकों से वसूली गई राशि का अद्यतन ब्योरा साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया जाय।
	2010–11 (राज्य का वित्त)	(19) 3.4	गंगा सिंह कॉलेज, छपरा में शिक्षण शुल्क गबन की राशि : 3.14 लाख रूपये	उत्तर प्राप्त	गबन में शामिल व्यक्ति प्रभात कुमार सिंह के निलम्बन के पश्चात की गई विभागीय कार्रवाई की अद्यतन स्थिति बताया जाय।
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, गया	2010–11(सिविल)	(20) 3.3.6	शिक्षण शुल्क का कर्मचारियों के वेतनादि पर अनियमित व्यय: 1.14 करोड़ रूपये	उत्तर प्राप्त	अवशेष राशि 53.88 लाख रूपये का मदवार विचलन का ब्योरा तथा इसके सामंजन/प्रतिपूर्ति संबंधी की गई कार्रवाई का ब्योरा साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया जाय।
	2010–11(सिविल)	(21) 3.3.7.3	अंतरिम राहत का अनियमित भुगतान :39.04 लाख रूपये	आंशिक उत्तर प्राप्त	चारो कर्मियों से वसूली/सामंजन का पूर्ण एवं अद्यतन ब्योरा साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया जाय।
	2010–11(सिविल)	(22) 3.4	कॉलेज ऑफ कामर्स, पटना मे शिक्षण शुल्क की राशि का गबन : 10.22 लाख रूपये	उत्तर प्राप्त	देव नारायण महतो से गबनित राशि 7,64,792/–रूपये की वसूली/सामजन की अद्यतन स्थिति तथा अन्य तीन कर्मियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई साक्ष्य के साथ बताया जाय।

नोट–कृपया कंडिकावार अद्यतन उत्तर साक्ष्यों के साथ अग्रता के आधार पर प्रस्तुत किया जाय।

(सुनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।